

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम व तामीर में जारी हुए
17-3-2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। बकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि वे वादपत्र को चलाना नहीं चाहते। अतः वादपत्र खारिज कर दिया जावे।</p> <p>इसी क्रम में प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार सेटलमेंट अभिक्रियाओं के दौरान भू-प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी उचित आदेश के नामान्तरकरण संख्या 224 दिनांक 27.06.1997 के द्वारा सुबराती पुत्र हुसैना तेली सा० देह के नाम गैर-खातेदारी स्वीकार हुई। जिसके विरुद्ध प्रकरण में कजोड़ पुत्र अब्दुल्ला खां जाति पिंजारा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 224 को खारिज करवाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, सवाई माधोपुर के यहां अपील संख्या 124/08 दिनांक 11.09.2006 को दायर किया जिसमें दिनांक 29.01.2007 को माननीय न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 224 को खारिज किया जाकर पूर्वानुसार भूमि की किस्म दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। इसके पश्चात् अपील संख्या 08/2007 दिनांक 19.03.2007 के द्वारा श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर के यहां उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की गई, जिसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.10.2007 को यथावत रखा गया। इसके पश्चात् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, के निर्णय 07.05.2016 के अनुसार अपील खारिज की गई व माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय 29.10.2007 को यथावत रखा गया।</p> <p>हमने वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन किया। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाता है। वादपत्र के संलग्न प्रार्थना पत्र 212 (2) आर०टी० एक्ट पर जारी आदेश दिनांक 25.04.2018 वापस लिया जाता है। रिसीवरी में ली गई भूमि रिसीवरी से मुक्त की जाती है। भूमि की स्थिति को देखते हुए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा विवादित खसरा नंबर 1126 पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा</p> <p>343 17.3.20</p>

